झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद　　संख्या...64.........　　वर्ष 20..23..

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री तौकिर अहमद खाँ एवं अन्य
ग्रा०-पिपरा, पं०-पिपरा, प्र०-गढ़वा,
जिला – गढ़वा।

बनाम

वाद प्रारम्भ की तिथि
21/12/2023

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गढ़वा

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–64 / 2023

परिवादी श्री तौकिर अहमद खाँ एवं अन्य, ग्राम–पिपरा, पंचायत–पिपरा, प्रखण्ड–गढ़वा, जिला–गढ़वा का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा ग्राम–गांगी खुर्द के PDS डीलर ममता स्वयं सहायता समूह, अनु0 सं0–04 / 2016 के विरूद्ध निम्न आरोप लगाए गए हैं:–

1. PDS डीलर द्वारा ईट, पत्थर से राशन से वजन किया जाना।
2. माह अगस्त में सभी कार्डधारियों से अंगूठा लगवाकर राशन वितरण नहीं करना।

परिवादीगण द्वारा PDS डीलर के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने एवं माह अगस्त का राशन दिलाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx150